R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XII ◆ अंक 4
अक्टूबर 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

स्वर्ण मुद्रीकरण और सोवरेन स्वर्ण बाण्ड योजनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अक्टूबर 2015 को सभी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के कार्यान्वयन पर निदेश और 30 अक्तूबर 2015 को सोवरेन स्वर्ण बाण्ड योजना के विवरणों पर परिपत्र जारी किया।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 मौजूदा स्वर्ण जमा योजना, 1999 का स्थान लेगी। तथापि, स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत जमा बकाये को परिपक्वता तक रखने की अनुमति होगी जब तक जमाकर्ता उनका समयपूर्व आहरण न करें।

पात्रता

निवासी भारतीय (व्यक्ति, एचयूएफ, ट्रस्ट जिनके अंतर्गत सेबी (म्यूच्युअल फंड) विनियमन और कंपनी के अंतर्गत पंजीकृत म्यूच्युअल फंड/शेयर बाजार ट्रेडेड फंड शामिल है) इस योजना के अंतर्गत जमा करा सकते हैं।

न्यूनतम मात्रा

एक समय पर जमा किया जाने वाला न्यूनतम अपरिष्कृत सोना (बार, सिक्के, आभूषण जिसमें रत्न और अन्य धातु शामिल नहीं होंगे) 995 विशुद्धता वाले 30 ग्राम सोने के बराबर होगा। इस योजना के अंतर्गत जमा की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

स्वर्ण को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित और इस योजना के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संग्रह और विशुद्धता परीक्षण केंद्रों (सीपीटीसी) में स्वीकार किया जाएगा। 995 विशुद्धता के स्वर्ण की बराबरी में जमा प्रमाण-पत्र बैंकों द्वारा जारी किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत जमा के मूलधन और ब्याज को स्वर्ण में मूल्यवर्गांकित किया जाएगा।

जमा के प्रकार

निर्दिष्ट बैंक अल्पावधिक (1-3 वर्ष) बैंक जमा (एसटीबीडी) और मध्यावधिक (5-7 वर्ष) तथा दीर्घावधिक (12-15 वर्ष) सरकारी जमा योजनाओं में स्वर्ण जमा स्वीकार करेंगे। अल्पावधिक जमा बैंकों द्वारा अपने खाते में स्वीकार की जाएगी, जबकि मध्यावधिक और दीर्घावधिक जमा भारत सरकार की ओर से स्वीकार की जाएगी। न्यूनतम लॉक-इन अवधि के अधीन समयपूर्व आहरण का प्रावधान होगा तथा दंड अलग-अलग बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

जमा किए गए स्वर्ण पर ब्याज

इस योजना के अंतर्गत जमा किए गए स्वर्ण पर ब्याज परिष्करण के बाद व्यापार योग्य स्वर्ण बार में परिवर्तित होने की तारीख या सीपीटीसी या बैंक की निर्दिष्ट शाखा में स्वर्ण प्राप्त के 30 दिन के बाद, जैसी भी स्थिति हो तथा जो जल्दी हो, मिलना शुरूहोगा।सीपीटीसी या निर्दिष्ट शाखा द्वारा स्वर्ण प्राप्त करने की तारीख से जमा पर ब्याज शुरू होने की तारीख तक की अवधि के दौरान सीपीटीसी या निर्दिष्ट बैंक शाखा द्वारा स्वीकार किए गए स्वर्ण को निर्दिष्ट बैंक के सुरक्षित अभिरक्षण में एक मद माना जाएगा।

आरक्षित निधि अपेक्षाएं

अल्पावधिक बैंक जमाओं पर नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) लागू रहेगा। तथापि, बैंकों द्वारा धारित स्वर्ण स्टॉक को सामान्य एसएलआर अपेक्षा के लिए गिना जाएगा।

केवाईसी लागू होना

स्वर्ण जमा खाता खोलना उन्हीं नियमों के अधीन होगा जो ग्राहक पहचान के संबंध में अन्य जमा खातों पर लागू हैं।

जीएमएस के अंतर्गत जुटाए गए स्वर्ण की उपयोगिता

निर्दिष्ट बैंक एसटीबीडी के अंतर्गत स्वीकार किए गए स्वर्ण को भारतीय स्वर्ण सिक्कों की ढलाई के लिए एमएमटीसी को बेच सकते हैं या उधार दे सकते हैं और आभूषण विक्रेताओं को बेच सकते हैं या उधार दे सकते हैं या जीएमएस में भागीदारी करने वाले अन्य निर्दिष्ट बैंकों को बेच सकते हैं। एमएलटीजीडी के अंतर्गत जमा कराए गए स्वर्ण की एमएमटीसी या केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य एजेंसी द्वारा नीलामी की जाएगी और बिक्री से प्राप्त राशि को रिज़र्व बैंक में केंद्र सरकार के खाते में जमा कराया जाएगा। नीलामी में भाग लेने वाली संस्थाओं में रिज़र्व बैंक, एमएमटीसी, बैंक और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। नीलामी में खरीदे गए स्वर्ण का उपयोग बैंक उपर्युक्त प्रयोजन हेतु उपयोग कर सकते हैं।

जोखिम प्रबंधन

निर्दिष्ट बैंक एक उचित सीमाओं सहित एक उपयुक्त जोखिम प्रबंधन तंत्र शुरू करें जिससे कि वे स्वर्ण के अपने निवल एक्सपोज़र के संबंध में स्वर्ण के मूल्य में होने वाली हलचलों से उत्पन्न होने वाले जोखिम का प्रबंध कर सकें। इस प्रयोजन के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों, लंदन बुलियन बाजार संघ को एक्सेस करने या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन बुलियन मूल्यों की तुलना में एक्सपोज़र को हेज़ करने के लिए ओवर द काउंटर संविदाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• स्वर्ण मुद्रीकरण और सोवरेन स्वर्ण बाण्ड योजनाएं	1
• जीएमएस - स्वर्ण धातु ऋण योजना के साथ जोड़ा जाना	2
• विदेशी केंद्रीय बैंकों पर दावों के लिए जोखिम भार	3
• कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (एसडीआर) के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन	3
सहकारी बैंकिंग विनियमन	
• **वित्तीय समावेशन निधि पर दिशानिर्देश**	**3**
गैर-बैंकिंग विनियमन	
• एनबीएफसी-एमएफआई - आगे उधार देने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा वित्तपोषण	4
बैंकिंग पर्यवेक्षण	
• बैंकों को प्रस्तुत किए जाने वाले लेखों की समीक्षा	4
विदेशी मुद्रा प्रबंधन	
• विदेश में धारित परिसंपत्तियों का नियमित किया जाना	4
• सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश	4
• रुपये में मूल्यवर्गीकृत बांडों को ओवरसीज में जारी करना	4

शिकायत निवारण

रसीदों तथा जमा प्रमाण-पत्रों के निर्गम, जमाराशियों के उन्मोचन, ब्याज के भुगतान में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए निर्दिष्ट बैंकों के विरूद्ध शिकायतों का निपटान पहले बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रिया से किया जाएगा तथा उसके बाद रिज़र्व बैंक के बैंकिंग लोकपाल द्वारा किया जाएगा।

यह स्मरण होगा कि भारत सरकार ने 15 सितंबर 2015 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं. 20/6/2015- एफटी के तहत स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य देशभर में परिवारों और संस्थाओं द्वारा धारित स्वर्ण को जुटाना और उत्पादक प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग को सुगम बनाना तथा अंततः स्वर्ण के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है।

सीपीटीसी और रिफाइनरों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा जल्दी ही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। भारतीय बैंक संघ आवश्यक प्रलेखन को अंतिम रूप दे रहा है जिसमें इस योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट बैंकों, सीपीटीसी और रिफाइनरों द्वारा त्रिपक्षीय करार करना शामिल है। बैंक भी इस योजना को कार्यान्वित करने संबंधी आवश्यक प्रणालियां और प्रक्रियाएं शुरू कर रहे हैं। कार्यान्वयन की सटीक तारीख की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शीघ्र ही घोषित की जाएगी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10084&Mode=0)

सोवरेन गोल्ड बॉण्ड 2015-16

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके सोवरेन गोल्ड बॉण्ड जारी करने का निर्णय लिया है। ये बॉण्ड 26 नवंबर 2015 को जारी किए जाएंगे। इस बॉण्ड के लिए आवेदन 05 नवंबर 2015 से 20 नवंबर 2015 तक स्वीकार किए जाएंगे। इन बॉण्डों की बिक्री बैंकों और निर्धारित डाकघरों, जैसा कि अधिसूचित किए जाएंगे, के माध्यम से की जाएगी। इस बॉण्ड के निर्गम से जुटाई जाने वाली उधार की राशि भारत सरकार के बाज़ार उधार कार्यक्रम का अंग बनेगी।

इस बॉण्ड की विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

निर्गम

भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।

पात्रता

इन बॉण्डों की बिक्री भारतवासियों, जिनमें व्यक्ति, हिंदू अविभक्त परिवार, न्यास, विश्वविद्यालय, धर्मार्थ संस्थाएं शामिल हैं, तक सीमित है।

मूल्यवर्ग

इन बॉण्डों का मूल्यवर्ग सोने के ग्राम (ग्रामों) के गुणजों में होगा। इसकी आधारभूत इकाई 1 ग्राम की होगी।

परिपक्वता अवधि

इस बॉण्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष की होगी, जिसके साथ 5वें वर्ष से ब्याज भुगतान की तारीखों को निकास विकल्प उपलब्ध होगा।

न्यूनतम मात्रा

न्यूनतम अनुमेय निवेश - 2 इकाइयां (अर्थात् 2 ग्राम का सोना)।

अधिकतम सीमा

किसी संस्था द्वारा अभिदान की जाने वाली अधिकतम राशि 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से अधिक नहीं होगी। इस आशय की स्व-घोषणा ले ली जाएगी।

संयुक्त धारक

संयुक्त धारिता के मामले में 500 ग्राम की निवेश सीमा पहले आवेदक पर ही लागू होगी।

बारंबारता

इन बॉण्डों को भागों में जारी किया जाएगा। प्रत्येक भाग को निश्चित अवधि के लिए चालू रखा जाएगा, जिसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। उस अधिसूचना में निर्गम की तारीख का भी उल्लेख किया जाएगा।

निर्गम का मूल्य

इस बॉण्ड के मूल्य का निर्धारण इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा पिछले सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार तक) के संबंध में प्रकाशित 999 शुद्धता के सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर किया जाएगा।

भुगतान का विकल्प

इन बॉण्डों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण/नकदी भुगतान/चेक/मांग ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।

जीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार के स्टॉक से निर्गम

निवेशकों को स्टॉक/धारिता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। ये बॉण्ड डीमैट रूप में अंतरित करने के लिए पात्र हैं।

मोचन का मूल्य

मोचन का मूल्य इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा पिछले सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार तक) के संबंध में प्रकाशित 999 शुद्धता के सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर होगा।

बिक्री का माध्यम

इन बॉण्डों की बिक्री बैंकों और निर्धारित डाकघरों, जैसा कि अधिसूचित किए जाएंगे, द्वारा सीधे या एजेंटों के माध्यम से की जाएगी।

ब्याज दर

निवेशकों को 2.75 प्रतिशत प्रति वर्ष के नियत दर पर भुगतान किया जाएगा, जो कि निवेश के प्रारंभिक मूल्य पर अर्ध-वार्षिक रूप से देय होगा।

इन बॉण्डों का उपयोग किन्हीं ऋणों की समर्थक प्रतिभूति के रूप में किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर तय किया जाएगा।

केवाईसी प्रलेखन

'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) मानदंड भौतिक सोने की खरीद से संबंधित मानदंडों के समान होंगे। मतदाता आईडी, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जैसे केवाईसी दस्तावेज ज़रूरी होंगे।

कर लगाने की प्रक्रिया

गोल्ड बॉण्डों पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार कर-योग्य होगा तथा इस मामले में पूंजी अभिलाभ कर उसी प्रकार से लागू होगा जैसा कि भौतिक सोने के मामले में लागू होता हो।

खरीद-बिक्री

इन बॉण्डों की खरीद-बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से एक्सचेंजों/एनडीएस-ओएम में की जा सकेगी।

एसएलआर पात्रता

ये बॉण्ड सांविधिक चलनिधि अनुपात के लिए पात्र होंगे।

कमीशन

वितरण के लिए कमीशन अभिदान राशि के 1 प्रतिशत की दर पर अदा की जाएगी।

यह स्मरण हो कि माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 में धातु सोने की खरीद के एक विकल्प के रूप में सोवरेन गोल्ड बॉण्ड के रूप में एक वित्तीय आस्ति के विकास के बारे में घोषित किया था।(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10095&Mode=0)

जीएमएस - स्वर्ण धातु ऋण योजना के साथ जोड़ा जाना

एसटीबीडी के अंतर्गत जुटाए गए स्वर्ण को आभुषण निर्माताओं को स्वर्ण धातु ऋण योजना के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। निर्दिष्ट बैंक एमएलटीजीडी के अंतर्गत नीलाम स्वर्ण को भी खरीद सकते हैं और जीएमएल को आभुषण निर्माताओं को दे सकते है। आभुषण निर्माता रिफाईनरों या निर्दिष्ट बैंक से स्वर्ण की भौतिक प्रदायगी प्राप्त करेंगे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि परिष्कृत स्वर्ण का भंडारण कहां किया गया है। नामित बैंकों द्वारा परिचालित मौजूदा जीएमएल योजना जीएमएस लिंक्ड जीएमएल योजना के साथ समानांतर रूप से जारी रहेगी। मौजूदा जीएमएल योजना के लिए मास्टर परिपत्र में निर्धारित और समय-समय पर संशोधित सभी विवेपूर्ण दिशानिर्देश इस नई योजना पर भी लागू होंगे।

नामित बैंकों से इतर निर्दिष्ट बैंक एसटीबीडी के अंतर्गत स्वर्ण जमा के उन्मोचन के लिए ही स्वर्ण का आयात करने के पात्र होंगे।

निर्दिष्ट बैंक जीएमएस लिंक्ड जीएमएल पर वसूली जाने वाली ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।जीएमएस लिंक्ड जीएमएल की अवधि

वैसी ही रहेगी जैसी मौजूदा जीएमएल योजना के अंतर्गत है।

कार्यान्वयन की निश्चित तारीख रिज़र्व बैंक द्वारा जल्दी ही घोषित की जाएगी।

(मास्टर निदेश सं. डीबीआर.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16)

विदेशी केंद्रीय बैंकों पर दावों के लिए जोखिम भार

रिज़र्व बैंक ने 8 अक्टूबर 2015 को वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया कि विदेशी केंद्रीय बैंकों पर दावे उसी तरह से जोखिम भारित होंगे जैसे विदेशी सरकारी बाण्डों के दावे होते हैं। तदनुसार, विदेशी सरकारी बाण्डों और उनके केंद्रीय बैंकों पर दावे उन विदेशी सरकारी बाण्डों तथा केंद्रीय बैंकों/सरकारी बाण्ड और केंद्रीय बैंक के दावों पर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स/फिच रेटिंग्स और मूडी रेटिंग्स जैसी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार जोखिम भार लगेगा। अपने अधिकारक्षेत्र में विदेशी सरकारी बाण्ड या विदेशी केंद्रीय बैंक के उन दावों पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार लगेगा, जो उस अधिकारक्षेत्र की घरेलू मुद्रा में मूल्यवर्गीकित है तथा जिन्हें उसी मुद्रा के संसाधनों से पूरा किया गया है। तथापि, यदि मेजबान पर्यवेक्षक भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की बहियों में ऐसे दावों का अधिक रूढ़िवादी ढ़ंग से निपटान करना चाहता है तो वे पूंजी पर्याप्तता के परिकलन के लिए मेजबान पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को अपनाएं। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10065&Mode=0)

कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (एसडीआर) के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन

रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2015 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय मीयादी उधारकर्ता तथा पुनर्वित्तपोषण संस्थाओं (एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) को अनुमति दी है कि वे उन उधारकर्ता संस्थाओं जिनके स्वामित्व में कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (एसडीआर) के बाहर बदलाव हुआ है, को उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण सुविधाओं को स्वामित्व में ऐसा बदलाव होने पर 'मानक' श्रेणी में अपग्रेड करें, यह अपग्रेडेशन दिशानिर्देशों में निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन होगा जिसमें उधारकर्ता संस्थाओं के स्वामित्व में बदलाव भी शामिल है। तथापि, उक्त बैंक द्वारा उधारकर्ता संस्थाओं के स्वामित्व में बदलाव होने की तारीख पर उपर्युक्त खाते के संबंध में धारित प्रावधान की राशि उस मामले को छोड़कर वापस नहीं की जाएगी, जब विनिर्दिष्ट अवधि (अग्रिमों की पुनर्संरचना पर मौजूदा मानदंडों में यथापरिभाषित) के दौरान उधारकर्ता संस्थाओं के सारे बकाये ऋण/सुविधाओं का निष्पादन संतोषप्रद हो अर्थात उस अवधि के दौरान खाते में सभी सुविधाओं पर मूलधन और ब्याज का भुगतान तत्संबंधी शर्तों के अनुसार किया गया हो; यदि विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक निष्पादन नहीं पाया गया हो तो पुनर्संरचित खाते का आस्ति वर्गीकरण चुकौती अवधि के संदर्भ में मौजूदा आस्ति वर्गीकरण के उन मानदंडों द्वारा नियंत्रित होगा जो स्वामित्व मे बदलाव होने से पूर्व अस्तित्व में थे या यह माना जाएगा कि आस्ति वर्गीकरण में अपग्रेडेशन नहीं हुआ। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10039&Mode=0)

सहकारी बैंकिंग विनियमन

वित्तीय समावेशन निधि पर दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 15 अक्टूबर 2015 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों सूचित किया कि वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) का विलय करके वित्तीय समावेशन निधि का गठन किया गया है। रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके नई एफआईएफ के कार्यकलापों के नए कार्यक्षेत्र और उपयोगिता के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है। इस नई एफआईएफ का नियंत्रण पुनर्गठित परामर्श बोर्ड, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है, द्वारा किया जाएगा और इसका रखरखाव नाबार्ड द्वारा किया जाएगा।

निधि का गठन :

इस नई एफआईएफ का समग्र कार्पस ₹2000 करोड़ होगा। इस निधि की परिचालन अवधि अगले तीन वर्ष के लिए या ऐसी अवधि तक होगी जिसके संबंध में अन्य स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करके रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

एफआईएफ का उद्देश्य :

एफआईएफ का उद्देश्य है ''विकासात्मक और संवर्धनात्मक कार्यकलापों'' को समर्थन प्रदान करना, जिनमें देशभर में वित्तीय समावेशन (एफआई) का बुनियादी ढांचा तैयार करना, स्टेक होल्डरों का क्षमता-वर्धन करना, मांग पक्ष के मुद्दों को दूर करने के लिए जागरूकता पैदा करना, हरित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधान में निवेश की मात्रा बढ़ाना, प्रौद्योगिकी का अनुसंधान व हस्तांतरण, वित्तीय समावेशन में बेहतरी लाने की दृष्टि से वित्तीय सेवा प्रदाताओं/प्रयोक्ताओं की प्रौद्योगिकीय ग्रहण क्षमता को बढ़ाना आदि शामिल हैं। इस निधि का उपयोग सामान्य कारोबार/बैंकिंग कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा।

पिछले पांच वर्ष के दौरान बैंकों ने एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिसके परिणास्वरूप बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में कारोबार प्रतिनिधियों की नियुक्ति हुई है और बैंकों के पहली बार के ग्राहकों के लिए बड़ी संख्या में बुनियादी बैंक खाते खोले जा रहे हैं। कारोबार प्रतिनिधियों ने समुचित कारोबार मॉडल के विकास में कारोबार के अवसर के अभाव और अपर्याप्त आय के साथ-साथ बुनियादी संरचना संबंधी कतिपय मुद्दों, जैसे उपयुक्त संपर्क व्यवस्था का अभाव, कारोबार प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का न होना आदि, का उल्लेख किया है। इस नई एफआईएफ का उद्देश्य इन प्रमुख समस्याओं का समाधान कराना है।

पात्र कार्यकलाप/उद्देश्य :

एफआईएफ वित्तीय समावेशन और साक्षरता केंद्र चलाने के लिए स्थापना और परिचालनात्मक लागत के वित्तपोषण हेतु समर्थन प्रदान करती है। वित्तीय समावेशन और साक्षरता केंद्रों के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त तकनीकी मानव शक्ति की लागत के लिए इस निधि से वित्तपोषण किया जाएगा। इन केंद्रों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के दायरे में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल होंगे :

- संबंधित क्षेत्र के सभी व्यक्तियों/परिवारों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिलाना।
- बैंक खाते खोलने और उनका परिचालन करने तथा अन्य वित्तीय उत्पादों व सेवाओं के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।
- कारोबार प्रतिनिधियों को विभिन्न बैंकिंग और अन्य वित्तीय उत्पादों के संबंध में प्रशिक्षण दिलाना तथा उन्हें तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने के संबंध में भी प्रशिक्षण दिलाना ताकि ग्राहकों को सुचारु रूप से सेवा प्रदान की जा सके।
- आवश्यकता पड़ने पर ग्राहक की शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से संबंधित बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ मामले पर कार्रवाई करना।
- ग्राम पंचायतों में मानक इंटरैक्टिव वित्तीय साक्षरता किऑस्कों की स्थापना और बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता के संबंध में किए जाने वाले प्रयास।
- कारोबार चलाने और आर-एसईटीआई सहित कौशल विकास केंद्रों के संचालन के लिए नाबार्ड और बैंकों को समर्थन प्रदान करना (जहां तक राज्य सरकारें उपलब्ध नहीं कराती हों)।
- वित्तीय समावेशन के नवोन्मेष उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रोटोटाइपों के विकास हेतु प्रायोगिक परियोजनाओं को समर्थन देना।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हो रही प्रगति के आकलन हेतु सर्वेक्षण कराने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों को वित्तीय सहायता देना।
- अंतिम मील तक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लगाने से संबंधित सरकारी परियोजनाओं की लागत में हिस्सेदारी करना, बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में नेटवर्क व्यवस्था में सुधार या तैयार करने से जुड़ी अन्य तकनीकी व बुनियादी संरचनागत परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करना।

पात्र संस्थाएं :

वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाएं।

पात्र संस्थाओं, जिनके साथ एफआईएफ से समर्थन प्राप्त करने के लिए बैंक कार्य कर सकते हैं, के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन; स्वयं सहायता समूह; किसान क्लब, कार्यात्मक सहकारी संस्थाएं, सहकारी संस्थाओं के आईटी साधित आउटलेट; अच्छा कार्यनिष्पादन करने वाली पंचायतें; ग्रामीण बहु-उद्देश्य किऑस्क / ग्राम ज्ञान केंद्र; राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत सेवा केंद्र एजेंसियों द्वारा स्थापित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी); प्राथमिक कृषि सोसाइटियां (पीएसी) शामिल हैं। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10074&Mode=0)

गैर-बैंकिंग विनियमन

एनबीएफसी-एमएफआई - आगे उधार देने के लिए एनएसएफडीसी द्वारा वित्तपोषण

रिज़र्व बैंक ने 01 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) द्वारा निधीयन पर सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा दिए गए ऋणों के मामले में अधिकतम अंतर संबंधी शर्त में छूट दी। तथापि, एनएसएफडीसी की निधियों में से एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा व्यक्तियों को आगे दिए जाने वाले उधार की राशि बैंकों में रहने वाले उनके खातों में ही सीधे जमा कर दी जाएगी। साथ ही, एनबीएफसी-एमएफआई ऋण के मूल्य-निर्धारण के प्रयोजन से कंपनी की निधियों की औसत लागत के परिकलन में एनएसएफडीसी द्वारा लक्ष्यित लाभार्थियों के मामले को छोड़कर एनएसएफडीसी से लिए गए उधार को शामिल नहीं करेगी। इस प्रयोजन के लिए एनबीएफसी-एमएफआई एनएसएफडीसी से प्राप्त निधियों और इन निधियों में से दिए गए उधारों के समुचित रिकार्ड का रखरखाव करेंगी। इसके अलावा, ऐसी एनबीएफसी-एमएफआई के तुलन-पत्र में इस संबंध में समुचित प्रकटीकरण किए जाएंगे। न्यूनतम प्रकटीकरणों के अंतर्गत एनएसएफडीसी से प्राप्त निधियों की मात्रा, ऐसी निधियों की लागत, उनमें से संवितरित ऋण, ऐसे ऋणों पर ब्याज दर तथा लाभार्थियों की संख्या शामिल हैं। एनबीएफसी-एमएफआई से यह अपेक्षित है कि वे एनएसएफडीसी द्वारा सरणीयन एजेंट के रूप में नियुक्त किए जाने की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। (https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/NotificationUser.aspx?ID=10053&Mode=0)

बैंकिंग पर्यवेक्षण

बैंकों को प्रस्तुत किए जाने वाले लेखों की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 23 सितंबर 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह स्पष्ट किया कि सहवर्ती लेखापरीक्षकों को उनकी अनर्जक आस्ति (एनपीए) की समीक्षा रिपोर्टें बैंकों को प्रस्तुत करनी चाहिए, न कि छमाही/तिमाही समीक्षा करने वाले सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) को, जो सीए द्वारा कवर की गई शाखाओं को लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए अलेखापरीक्षित शाखाओं के रूप में मानेगा। एससीए पूर्व की भांति छमाही/तिमाही समीक्षाओं के लिए टॉप 20 शाखाओं की समीक्षा करना जारी रखेंगे तथा वे संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विदेशी शाखाओं की रिपोर्टों की समीक्षा पर विचार करेंगे। एससीए को ऐसे अग्रिमों को अनिवार्य रूप से कवर करना चाहिए, जिनके संबंध में रिज़र्व बैंक की अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट, विशेष लेखापरीक्षा/ विशेष संवीक्षा, यदि बैंक, रिज़र्व बैंक या अन्य किसी एजेंसी द्वारा कराई गई हो, में की गई प्रतिकूल टिप्पणी की गई हो ताकि छमाही/तिमाही समीक्षा के दौरान सभी समस्यामूलक खातों की देखरेख की जा सके।

अग्रिमों और एनपीए के संबंध में विनिर्दिष्ट 50 प्रतिशत के शेष भाग, जिन्हें छमाही/तिमाही समीक्षा के लिए कवर किया जाना है, की समीक्षा एससीए द्वारा बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से की जाएगी तथा प्रबंधन इनपुट, यथा- आंतरिक निरीक्षण रिपार्टें, सहवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई समीक्षा रिपोर्टें बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, एससीए द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ''समीक्षा रिपोर्ट के नमूने'' के फार्मेट में संशोधन किया गया है। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10038&Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

विदेश में धारित परिसंपत्तियों का नियमित किया जाना

रिज़र्व बैंक ने 25 सितंबर 2015 को सूचित किया कि रिज़र्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति प्राप्त किए बगैर कोई भी भारत का निवासी विदेश में स्थित ऐसी किसी संपत्ति का धारण नहीं करेगा जिसके संबंध में घोषणा काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (काला धन अधिनियम) की धारा 59 के अंतर्गत की गई हो। तथापि, भारत के ऐसे निवासी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जिसने विदेश में स्थित किसी अप्रकटित संपत्ति के संबंध में घोषणा काला धन अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत की है तथा जिसने काला धन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर और दंडात्मक राशि का भुगतान किया है। यह उपबंध किया गया है कि यदि घोषणाकर्ता इस प्रकार से घोषित संपत्ति को रखे रहना चाहता हो तो वह उक्त अधिनियम, या नियमावली व विनियमावली के संगत उपबंधों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए घोषणा की तारीख से 180 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक को उस मामले में आवेदन प्रस्तुत करेगा, जहां आवेदन की तारीख की स्थिति के अनुसार ऐसी अनुमति लेना जरूरी हो। यह भी उपबंध किया गया है कि जहां घोषणाकर्ता आस्ति को धारित करके नहीं रखना चाहता हो या रिज़र्व बैंक ने ऐसी आस्ति को धारित रखने को अस्वीकृत कर दिया हो, जो भी स्थिति हो, तो ऐसे मामलों में घोषणाकर्ता घोषणा की तारीख या रिज़र्व बैंक से अनुमति नहीं दिए जाने के संबंध में दी गई सूचना की तारीख से 180 दिन के भीतर या रिज़र्व बैंक द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर उक्त आस्ति का निपटान करेगा तथा उसकी प्राप्तियां बैंकिंग सरणी के माध्यम से भारत में तत्काल लाएगा। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10052&Mode=0)

रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर 2015 को स्पष्ट किया है कि काला धन (अप्रकटित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (काला धन अधिनियम) के अधीन घोषित परिसंपत्ति के निपटान के लिए फेमा के अंतर्गत अनुमति लेने की और निपटान की राशि घोषणा की तारीख से 180 दिन के भीतर बैंकिंग सरणी के माध्यम से भारत में लाने की आवश्यकता नहीं है। (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10051&Mode=0)

सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश

रिज़र्व बैंक ने 6 अक्टूबर, 2015 को सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई की सीमा के लिए मध्यम अवधि रूपरेखा (एमटीएफ) की घोषणा की। मध्यम अवधि रूपरेखा की विशेषताएं निम्ननुसार हैं :

i. ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए सीमा आगे से रुपये में घोषित/ निर्धारित की जाएगी ।

ii. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश सीमा मार्च 2018 तक बकाया स्टॉक के 5 प्रतिशत हो जाने तक चरणबद्ध रूप में बढ़ाई जाएगी । कुल मिलाकर केन्द्र सरकार की सभी प्रतिभूतियों के लिए ₹1,535 बिलियन की मौजूदा सीमा के अलावा मार्च 2018 तक केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में ₹1,200 बिलियन के अतिरिक्त निवेश की संभावना की उम्मीद है।

iii. इसके अलावा सभी एफपीआई द्वारा राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) में निवेश के लिए एक अलग सीमा होगी जिसे मार्च 2018 तक बकाया स्टॉक के दो प्रतिशत तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा । इससे इस सीमा में मार्च 2018 तक करीब ₹ 500 बिलियन की वृद्धि होगी।

iv. मार्च और सितंबर में हर छमाही में आगामी दो तिमाहियों के लिए सीमा में प्रभावी वृद्धि की घोषणा की जाएगी।

v. सरकारी प्रतिभूतियों (एसडीएल सहित) में एफपीआई की सभी श्रेणियों के लिए लागू निवेश की मौजूदा तीन वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि अनिवार्यताएं बनी रहेंगी ।

vi. केन्द्र सरकार की किसी प्रतिभूति में कुल एफपीआई निवेश को प्रतिभूति के बकाया स्टॉक के 20% के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा । मौजूदा स्तरों पर प्रतिभूतियों में इस सीमा से अधिक निवेश को जारी रखा जा सकेगा परंतु इस स्तर के 20% से कम नहीं हो जाने तक एफपीआई द्वारा नई खरीद के माध्यम से इसकी पूनःपूर्ति नहीं की जा सकेगी।

फिलहाल, एफपीआई निवेश के लिए प्रतिभूति-वार सीमा की निगरानी दिन की समाप्ति के आधार पर की जाएगी और केन्द्र सरकार की जिन प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा कुल निवेश 20% की निर्धारित सीमा से अधिक होगा उनको नकारात्मक निवेश सूची में डाल दिया जाएगा । एफपीआई को इन प्रतिभूतियों में नए निवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक नकारात्मक सूची से उन्हें हटाया नहीं जाता है। फिलहाल, एसडीएल के लिए कोई प्रतिभूति-वार सीमा नहीं होगी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10059&Mode=0)

रुपये में मूल्यवर्गीकृत बांडों को ओवरसीज में जारी करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 सितंबर 2015 को व्यापक (overarching) बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अंतर्गत ओवरसीज में रुपये में मूल्यवर्गीकृत बांडों को जारी करने के लिए रूपरेखा निर्धारित की । विस्तृत रूपरेखा निम्ननुसार हैं :

i. पात्र उधारकर्ताः कोई कॉर्पोरेट अथवा निगमित निकाय के साथ-साथ रियल इस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) और इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs)।

ii. मान्यताप्राप्त निवेशकः वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) अनुपालक क्षेत्राधिकार का कोई भी निवेशक ।

iii. परिपक्वताः न्यूनतम परिपक्वता अवधि 5 वर्ष।

iv. समग्र लागतः समग्र लागत प्रचलित बाज़ार शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए।

v. राशिः मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार।

vi. अंतिम उपयोगः नकारात्मक सूची के सिवाय अंतिम उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10049&Mode=0)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**